दावा अन्तर्गत धारा 49 आर.टी.ए. बाबत विनिमय

डिक्री

दिनांक :—.13/2/26....

वादी की ओर से श्री हीरालाल बिरथलिया अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1, 2 की ओर से श्री बलवीर मोयल अधिवक्ता, राज पैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि वाद पत्र को इकबाल दावा के आधार पर स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 49 के अन्तर्गत प्रतिवादी सं. 1—2 के नाम वर्णित कृषि भूमि चक 13 एसपीडी—बी के खाता सं. 29 के प.नं. 186/8, 186/16, 187/1, 187/9 की कुल 6.388 हैक. प्रतिवादी सं. 1 के 1/20 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 के 1/20 हिस्सा का वादी को विनिमय मे दी जाती है तथा चक 14 एसपीडी के खाता सं. 34 के प.नं. 187/1, 187/2, 187/9, 187/10 की कुल 10.196 हैक. मे से वादी का 255/5098 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1—2 को ब.हि.ब. विनिमय मे दी जाती है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा / सूरतगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने की दशा मे स्थिति मे उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक ....13/2/26.... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.05.01 13:19:24 IST
Reason: SelfAttested